R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 4
अक्तूबर 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016–17

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक 3 और 4 अक्टूबर 2016 को हुई और 4 अक्टूबर 2016 को अपने संकल्प की घोषणा की। वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 4 अक्टूबर 2016 को निर्णय लिया है कि

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.25 कर दिया जाए।
- परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 समायोजित हो जाएंगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 पर ।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के उदार रुख के अनुरूप है जिसका उद्देश्य वृद्धि को सहायता प्रदान करते हुए वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में 5 प्रतिशत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति और +/– 2 के बैंड के अंदर 4 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य को हासिल करना है। निर्णय को रेखांकित करने वाले मुख्य विचार नीचे वक्तव्य में दिए गए हैं।

एमपीसी की अगली बैठक 6 और 7 दिसंबर 2016 को आयोजित की जाएगी और उसके प्रस्ताव को 7 दिसंबर 2016 को घोषित किया जाएगा।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

4 अक्टूबर 2016 को घोषित यह वक्तव्य, रिजर्व बैंक द्वारा हाल के नीतिगत वक्तव्य में घोषित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों की समीक्षा और आगे बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने; वित्तीय बाजारों को मजबूत और विस्तृत बनाने; सभी तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार; और भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाने और मुद्रा प्रबंधन में सुधार के द्वारा वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए नए उपायों को स्थापित करता है। कुछ महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं:

- चुनिंदा चार एआईएफआई को, अर्थात निर्यात आयात बैंक (एक्जिम), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी), कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए 1 अप्रैल 2018 से बासल III पूंजी ढांचे के तत्वों का विस्तार किया जाएगा।
- बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम पर मसौदा दिशानिर्देश नवंबर 2016 के अंत तक जारी किया जाएगा।
- दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना पुनर्गठन में लचीलापन करने के लिए की गई,जिसमें कर्ज के मटेरियल राइट–डॉउन और / एक विश्वसनीय ढांचे के तहत बड़े प्रावधान करना शामिल है।
- लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए ड्राफ्ट परिचालन दिशानिर्देश की आवेदकों के साथ चर्चा की गई, जिन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की थी, जिसके आधार पर, परिचालन दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के अभिरक्षक बैंक एक एफपीआई के सभी डेरिवेटिव लेनदेन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हो सकता है,
- ओवरसीज पेरेंट या उसकी केंद्रीय राजकोष को बाद के मुद्रा जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के क्रम में भारतीय सहायक कंपनी की वास्तविक चालू खाते के जोखिम से उत्पन्न मुद्रा जोखिम को हेज करने की अनुमति दी;
- ब्याज दर विकल्प को प्रारंभ करने पर अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किया जाना है;
- 3 मिलियन अमरीकी डॉलर या लाख या तो भारतीय रुपयों में या किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या दोनों के संयोजन में प्रति वित्तीय वर्ष के बराबर तक विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने के लिए स्टार्ट–अप करने की अनुमति दी जानी चाहिए;
- आयात भुगतान की निगरानी की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए, आयात डाटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस)के रूप में एक केंद्रीकृत प्रणाली को जल्द ही लागू किया जाएगा;
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की व्यापकता अपनाने को प्रोत्साहित करने के क्रम में और देश में कार्ड स्वीकृति के बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना सुनिश्चित करने के लिए एक स्वीकृति विकास कोष (एडीएफ) स्थापित किया जाए;

  नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और खिलाड़ियों का उपयोग कर भुगतान स्थान में महत्वपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर पूर्व भुगतान लिखत (पीपीआई)के संचालन को जारी करने के दिशानिर्देश की समीक्षा की जानी चाहिए;

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=38225)

विषय सूची

	पृष्ठ
चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016–17	
• मौद्रिक नीति समिति का संकल्प	1
• विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य	1
बैंककारी विनियमन	
• लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के परिचालन दिशानिर्देश	2
• जानबूझकर चूककर्ता की तस्वीरों का प्रकाशन	2
• एचएफसी के निवेश के लिए जोखिम भार	3
वित्तीय बाजार विनियमन	
• एफपीआई द्वितीयक बाजार के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं	3
• एनडीएस–ओएम वेब मॉड्यूल–गिल्ट खाता धारकों को एसेस	3
आंतरिक ऋण प्रबंध	
• सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड संपार्श्विक के रूप स्वीकार	3
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• पीएसएस के अंतर्गत मौद्रिक दंड की रूपरेखा	3
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
• किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना उपाय	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश की सीमा बढ़ाई गई	4
• आयात डाटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम	4
• क्षेत्रवार कैप और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सरलीकरण की समीक्षा	4
• विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक द्वारा निवेश	4
• अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश	4
• परिपक्व और अदत्त ईसीबी का विस्तार	4

बैंकिंग विनियमन

लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश

6 अक्टूबर 2016 को रिजर्व बैंक ने 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश' और 'भुगतान बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश' जारी किए, जो इन बैंकों के कारोबार और वित्तीय समावेशन फोकस की अलग-अलग प्रकृति पर विचार कर किए गए।ये परिचालन दिशानिर्देश 27 नवंबर 2014 को जारी 'लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश', के पूरक हैं और 6 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हैं। परिचालन दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

प्रूडेंशियल विनियमन

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) के लिए विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को काफी हद तक बेसल मानकों से तैयार किया जाएगा। हालांकि, इन बैंकों के वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर, इसे उपयुक्त अंशशोधित किया जाएगा।

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क

एसएफबी और पीबी दोनों के लिए आवश्यक पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (सीएआर) हैं: -

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	15 प्रतिशत
सामान्य इक्विटी टीयर 1	6 प्रतिशत
अतिरिक्त टियर I	1.5 प्रतिशत
न्यूनतम टियर I पूंजी	7.5 प्रतिशत
टीयर 2पूंजी	7.5 प्रतिशत
पूंजी संरक्षण बफर	लागू नहीं
काउंटर चक्रीय पूंजी बफर	लागू नहीं
एटी1के रूपांतरण के लिए पूर्व निर्धारित उत्प्रेरक	3 मार्च 21 तक 6प्रतिशत और उसके पश्चात 7प्रतिशत

लघु वित्त बैंक

लिवरेज अनुपात

एसएफबी के लिए लिवरेज अनुपात	4.5 प्रतिशत	कुल एक्सपोजर के टीयर I पूंजी के प्रतिशत के रूप में गणना

चलनिधि कवरेज अनुपात और कुल स्थिर धन अनुपात

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू,चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), लघु वित्त बैंकों के लिए लागू होगा। एलसीआर के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए एसएफबी का परिवर्तन काल इस प्रकार होगा:

	31 दिसंबर 2017 तक	1 जनवरी 2018 को	1 जनवरी 2019 को	1 जनवरी 2020 को	1 जनवरी 2021 को
न्यून एलसीआर	60प्रतिशत	70 प्रतिशत	80 प्रतिशत	90 प्रतिशत	100 प्रतिशत

कुल स्थिर धन अनुपात (एनएसएफआर) लघु वित्त बैंकों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ बराबरी पर लागू होगा,जब भी इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूंजी मापन के प्रयास

ऋण जोखिम	ऋण जोखिम के लिए बासल II का मानकीकृत दृष्टिकोण। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि छोटे खुदरा ऋण के लिए श्रेणीबद्ध जोखिम और नियामक खुदरा दृष्टिकोण के लिए बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार के उपयोग की अनुमति है।

अंतर-बैंक उधारियां

एसएफबी को अंतर-बैंक उधारी पर मौजूदा नियामक सीमा से छूट की अनुमति दी जाएगी जब तक मौजूदा ऋण परिपक्व हो या तीन साल तक, जो भी पहले हो। बाद में, यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ बराबरी पर होगा। इस संदर्भ में,यह स्पष्ट किया जाता है कि परिचालन शुरू होने के बाद एसएफबी द्वारा की गई उधारी अंतर बैंक उधार सीमा के अधीन की जाएगी। यह छूट केवल पुरानी (लेगेसी) उधारियों पर लागू है जो कि परिचालन शुरू होने के दिन एसएफबी के बैलेंस शीट के माइग्रेट किए गए।

संबंधित मौजूदा प्रावधान (i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन मानदंडों; (ii) नियामक सीमा सहित ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी)को ऋण देने सहित); (iii) अग्रिमों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड ऋण सुविधाओं के पुनर्गठन सहित; (iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू जोखिम और जोखिम प्रबंधन तकनीक; (v) नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात, प्रकटन और सांविधिक / नियामक रिपोर्ट; जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू है,ये एसएफबी पर भी लागू होगें।

क्रेडिट जोखिम अंतरण और पोर्टफोलियो बिक्री / खरीद पर दिए गए निर्देशों के अलावा पैरा-बैंकिंग गतिविधियों,विनियामक नियंत्रण; निदेशक मंडल का गठन व कामकाज; बोर्ड की समिति का गठन व कामकाज; प्रबंधन स्तर समितियों, पारिश्रमिक नीतियों; बैंकिंग परिचालन, जिसमें शाखा प्राधिकरण नीति शामिल है; व्यवसाय संवाददाताओं के विनियमन; बैंक शुल्क, लॉकर्स, नामांकन, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, आदि.; सीमांत आधार पर फंड आधारित उधारी दर (एमसीएलआर), ब्याज दर पर अन्य संबंधित नियम और वित्तीय समावेशन और विकास और उधारदाताओं कर लिए एक उचित व्यवहार संहिता; बैंक जमाओं जिसमें केवाईसी अपेक्षाओं शामिल है, विदेशी मुद्रा कारोबार, अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे कि मुद्रा वितरण (जाली और नकली नोटों का पता लगाना, करेंसी चेस्ट सुविधाएं,नोटों को बदलने की सुविधाओं का पता लगाना); ग्राहक शिक्षा और संरक्षण; क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग और इंड एएस का कार्यान्वयन शामिल है।

भुगतान बैंक

बड़ी जोखिम सीमा (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में निवेश के लिए)

एक प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को इस संबंध में जोखिम पीबी की कुल बाहरी देनदारियों के पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

पूंजी मापन के प्रयास

ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण स्वीकृत है।

अंतर-बैंक उधारियां

पीबी को उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के रूप में कॉल मनी और केंद्रीकृत उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये उधारी, तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू कॉल मनी उधारी सीमा के अधीन किया जाएगा।

पीबी के लिए परिचालन दिशानिर्देश में इस संबंध में भी अनुदेश शामिल है (i) निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन मानदंड, (ii) नियामक सीमा सहित ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध (एनबीएफसी को ऋण देने सहित), (iii) पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, (iv) उत्पाद अनुमोदन; (v) जोखिम प्रबंधन, (vi) आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा और अनुपालन; (vii) सीआरआर, एसएलआर, प्रकटन और सांविधिक/नियामक रिपोर्ट; (viii) स्वामित्व और नियंत्रण नियम (ix) कॉरपोरेट गवर्नेंस; (x) निदेशक मंडल के कामकाज व गठन; प्रबंधन स्तर समितियों,पारिश्रमिक नीतियों; (xi) बैंकिंग परिचालन जिसमें शामिल है-एसेस प्वाईंट को प्रधिकृत करना; व्यवसाय संवाददाताओं के विनियमन; बैंक शुल्क, लॉकर्स, नामांकन, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, आदि.; बैंक जमा; केवाईसी आवश्यकताएं; विदेशी मुद्रा कारोबार; अन्य बैंकिंग सेवाओं; मुद्रा वितरण (जाली और नकली नोटों का पता लगाना, करेंसी चेस्ट सुविधाओं,नोटों को बदलने की सुविधाओं),परिचालनों को आउटसोर्सिंग,इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, ग्राहक शिक्षा और संरक्षण और इंड एएस के कार्यान्वयन ।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10636Mode=0)
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10635Mode=0)

एचएफसी के निवेश के लिए जोखिम भार

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि सभी आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए निवेश जोखिम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत रेटिंग एजेंसियों द्वारा आवंटित रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। एचएफसी के लिए बैंकों की जोखिम के संबंध में निर्धारित जोखिम भार मामले पर जांच के बाद सूचना जारी की गई,चूंकि यह देखा गया था कि बैंकों के एचएफसी के लिए उनके निवेश जोखिम पर जोखिम भार के आवेदन के बीच एकरूपता का अभाव था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10655Mode=0

जान-बूझकर चूककर्ताओं की तस्वीरों का प्रकाशन

रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है:

- एक ऋण संस्था केवल उन उधारकर्ताओं/ प्रोपराइटर / भागीदारों / निदेशकों / उधारकर्ता फर्म के गारंटर/कंपनियों, की तस्वीरों के प्रकाशन पर विचार कर सकते हैं जिसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है।
- ऋण संस्थानों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक नीति तैयार करनी होगी जिसमें स्पष्ट रूप से मानदंड तैयार किया जाएगा कि जिसके आधार पर उनके द्वारा एक व्यक्ति के फोटोग्राफ को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है ताकि दृष्टिकोण न भेदभावपूर्ण और न ही असंगत हो।
- ऋण संस्थाएं किसी अन्य चूककर्ता ऋण लेने वालों की तस्वीरों को प्रकाशित नहीं कर सकेगी।

ये दिशानिर्देशों में समाचार पत्रों में एक अंधाधुंध तरीके से दोषी उधारकर्ता / गारंटर की तस्वीरों के प्रकाशन को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10619Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

एफपीआई द्वितीयक बाजार के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में वेब मॉड्यूल सहित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (एनडीएस-ओएम) के प्राथमिक सदस्यों के माध्यम से में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति दी है। एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सदस्य व्यापार, इस निपटारे के लिए जिम्मेदार होंगे जो टी +1 आधार पर होगा। यह सुविधा 1 दिसंबर 2016 से उपलब्ध होगी। वर्तमान में एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार में टी + 2 निपटान के साथ कारोबार करने की अनुमति है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10646Mode=0)

एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल-गिल्ट खाता धारकों को एसेस

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को सभी सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) / संविधान सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) धारकों को सूचित किया है कि द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्राथमिक सदस्य (पीएम) को अनिवार्य रूप से वेब आधारित नेगोशिएटेड डिलिंग सिस्टम-आदेश मिलान मॉड्यूल को उनके घटक गिल्ट खाता धारकों(जीएएच) (व्यक्तियों को छोड़कर) को प्रदान करें। इस सुविधा का लाभ न उठाने वाले घटक ऐसा लिखित रूप में ऑप्ट आउट करके कर सकते हैं। दूसरी ओर, अलग-अलग जीएएच जो एनडीएस-ओएम वेब सुविधा के इच्छुक है उन्हें केवल विशेष अनुरोध के आधार पर एसेस प्रदान की जा सकती है।

जीएएच द्वारा एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल के लिए एसेस संबंधित प्राथमिक सदस्य द्वारा नियंत्रण के द्वारा किया जाएगा चुंकि प्राथमिक सदस्य अपनी जीएएच के संबंध में ट्रेडों के निपटारे के लिए जिम्मेदार होने या वर्तमान में जैसा मामला है।एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल पर जीएएच द्वारा निष्पादित सभी ट्रेड सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) के दिशा निर्देशों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य अनुदेश के अधीन होगें।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10647Mode=0)

आंतरिक ऋण प्रबंध

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नानुसार कुछ स्पष्टीकरण जारी किया है:

- सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) सरकारी प्रतिभूतियां हैं। एसजीबी के धारक होने के कारण प्रतिभूति के विपरीत एक शपथ, दृष्टिबंधक या ग्रहणाधिकार बना सकते हैं, एसजीबी को किसी ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बैंकों और अन्य पात्र धारक वसूली कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले अंतरण सहित, अंतरण इत्यादि के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में 500 ग्राम से अधिक एसजीबी प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकों और अन्य लोगों से प्राप्त बांड के खिलाफ ऋण देने की व्यवहार्यता के बारे में और क्या एक वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति प्रति 500 ग्राम बॉन्ड की खरीद का प्रतिबंध, अंतरण के माध्यम से प्राप्त अधिग्रहण पर भी लागू होगा, जैसे प्रश्नों के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्टीकरण जारी किए।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10656Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

पीएसएस के अंतर्गत मौद्रिक दंड की रूपरेखा

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को तहत भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (पीएसएस अधिनियम) और अधिनियम के तहत उल्लंघन पर समझौता /अपराधों के लिए दंड /जुर्माना लगाने के लिए एक रूपरेखा बनाने का फैसला किया है। रूपरेखा के विवरण में (i) अपराध की प्रकृति (ii) समझौता (iii) परिचालन प्रक्रिया का पालन किया जाना (iv) जुर्माना / दंड की राशि (v) प्रकटीकरण और (vi) दंड / जुर्माने के भुगतान की विधि (vii) दंड / जुर्माने का भुगतान न करना शामिल है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10657Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना उपाय

रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2016 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों / प्रमुख बैंकों को अग्रणी बैंक योजना के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। तदनुसार, अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न को सुनिश्चित करें:-

क) उक्त रणनीति को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड के साथ मिलकर कार्य करते हुए क्षमता संबद्ध योजना (पीएलपी) और वार्षिक ऋण योजना को तैयार करें।

ख) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचो जैसे कि एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी तथा बीएलबीसी में 'किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना' को नियमित रूप से कार्यसूची के तौर पर समाहित करें।

ग) प्रगति की समीक्षा और निगरानी के उद्देश्य हेतु, अग्रणी बैंक, नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं।

घ) बैंक के कृषि/एग्रो अनुषंगी ऋण योजना हेतु समग्र रूप से रणनीति तैयार करें।

किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीति में अन्य बातों के साथ निम्न शामिल है:

- ''प्रति बूंद, अधिक फसल'' उद्देश्य के साथ, बृहद बजट युक्त सिंचाई पर ध्यान केंद्रित
- प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी के आधार पर उत्तम बीज और पोषक का प्रावधान
- फसल के उपरांत होने वाले हानियों से बचने के लिए कोल्ड चेन और भंडारगृह में निवेश
- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना
- एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, विकृतियां हटाना और सभी 585 स्टेशनों में बुनियादी ढांचे का विकास करना यथा ई-प्लेटफार्म
- सस्ती कीमत पर जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा योजना का सुदृढ़ीकरण
- अनुषंगी गतिविधियां, जैसे कि मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन, को बढ़ावा देना।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय समिति की स्थापना की गयी है। सरकार द्वारा विभिन्न मंचो पर इस एजेंडा को दोहराया गया है तथा ग्रामीण और कृषि विकास की दृष्टि से प्रधानता हासिल की है।
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10614Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश की सीमा बढ़ाई गई

30 सितंबर 2016 को, रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश की सीमा को अगले आधे साल के लिए, दो चरणों में बढ़ाने की सलाह दी है, क्रमशः 3 अक्टूबर 2016 और 2 जनवरी 2017 से प्रत्येक के लिए 100 बिलियन रूपए।

पिछले आधे वर्ष में, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की सीमा, को दो किस्तों में बढ़ाने का प्रस्ताव है, क्रमशः 3 अक्टूबर 2016 और 2 जनवरी 2017 से प्रत्येक के लिए 35 बिलियन रूपए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10623Mode=0)

आयात डाटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम

रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2016 को, सभी वर्गश्रेणी-I-अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को सूचित किया है कि आयात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) 10 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हो जाएंगा। आयात लेनदेन की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए इस्तेमाल करे।

सीमा शुल्क विभाग ने क्रमश: 1 अप्रैल 2016 से बैंक के एडी कोड को प्रदर्शित करने और 1 जून 2016 से विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के बिल ऑफ इंट्री फार्मेट को संशोधित किया है। प्राथमिक आयात लेनदेन डेटा (सीमा शुल्क / सेज) निर्दिष्ट तारीख से आगे की प्रक्रिया के लिए आईडीपीएमएस डेटाबेस में संबंधित एडी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। 10 अक्टूबर 2016 से शुरू, सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और आयात लेनदेन की निगरानी के लिए,एडी बैंकों के लिए सभी लेनदेन दैनिक आधार पर आइडीपीएमएस पर प्रवाहित होंगे।

परिचालन निदेश/दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उनके आयातक ग्राहक जिसके लिए आयात के सबूत के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है के लिए ऐसे सभी जावक विप्रेषण/णों के लिए जावक विप्रेषण संदेश (ओआरएम) बनाने की आवश्यकता होगी।
- आयात के भुगतान के लिए सभी बकाया जावक विप्रेषण के लिए ओआरएम को बनाने 31 अक्टूबर 2016 या उससे पहले बनाए जाने की जरूरत है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10633Mode=0)

क्षेत्रवार कैप और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सरलीकरण की समीक्षा

केन्द्र सरकार से परामर्श,रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को विभिन्न क्षेत्रों पर मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है और समेकित एफडीआई नीति में कुछ संशोधन किए हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10648Mode=0)

विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक द्वारा निवेश

विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक (FVCI) के लिए निवेश व्यवस्था और स्टार्ट-अप को युक्तिसंगत और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगे उदार बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर को भारत सरकार के परामर्श से, 2016 वर्तमान की समीक्षा की नियामक प्रावधानों और तदनुसार संशोधन किये गए हैं।

किसी भी FVCI जिसने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (FVCI) विनियम, 2000 के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है, भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और निम्न में निवेश कर सकते हैं:

- इक्विटी या किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी जिनके शेयर प्रतिभूतियां / लिखत किसी समय में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है और चुनिंदा सेक्टरों में नहीं लगे हुए हैं द्वारा जारी किए गए इक्विटी लिंक्ड साधन या ऋण साधन;
- इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड साधन या ऋण लिखत द्वारा जारी किए गए एक भारतीय 'स्टार्ट-अप' के क्षेत्र में जो स्टार्ट अप होने के बावजूद। एक स्टार्टअप का अर्थ एक इकाई (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पंजीकृत भागीदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी) शामिल है या भारत में पंजीकृत पांच साल से पहले नहीं, भारतीय रुपए 25 करोड़ सालाना कारोबार किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में से अधिक न हो, नवाचार की दिशा में काम करने, विकास, तैनाती या प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा और संतोषजनक कुछ शर्तों के नियमों में दिए गए द्वारा संचालित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के व्यावसायीकरण;
- एक वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) या संवर्ग I में वैकल्पिक निवेश कोष (कैट-मैं एआईएफ) या एक योजना की या एक कोष एक वीसीएफ द्वारा या द्वारा स्थापित की इकाइयों की इकाइ कैट-I एआईएफ में कुछ शर्तों के अधीन होगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10649Mode=0)

अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश

भारत सरकार के साथ परामर्श में समीक्षा करने पर, रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर, 2016 को 'अन्य वित्तीय सेवाओं' में स्वत: प्रवृत्त मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु सूचित किया गया है। अन्य वित्तीय सेवाओं में वे सेवाएं शामिल हैं जो वित्तीय क्षेत्र द्वारा नियामक द्वारा विनियमित रहे हैं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामक बोर्ड इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। नियामक / सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट इस तरह के विदेशी निवेश, न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित शर्तों के अधीन किया जाएगा।

संशोधित विनियामक ढांचे की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

क) जो विनियमित नहीं कर रहे हैं या आंशिक रूप से विनियमित किसी भी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा वित्तीय सेवाओं गतिविधियों में या जहां विनियामक निरीक्षण के संबंध में स्पष्टता की कमी नहीं है, विदेशी निवेश को सरकार की मंजूरी मार्ग के तहत 100 प्रतिशत करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

ख) विदेशी निवेश गतिविधि है जो विशेष रूप से एक अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अधिनियम में निर्दिष्ट यदि कोई हो, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश का स्तर / सीमा प्रतिबंधित किया जाएगा।

ग) ''किसी भी अन्य वित्तीय सेवाओं'' में लगे इकाई द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश वर्तमान क्षेत्रीय नियमों और प्रमुख नियमों के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10650Mode=0)

परिपक्व और अदत्त ईसीबी का विस्तार

रिजर्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2016 को परिपक्व लेकिन अदत्त बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के साथ डीलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है।

ईसीबी से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- I बैंकों को अधिकार सौंपने का निर्णय लिया गया कि वे परिपक्व परंतु अदत्त ईसीबी के विस्तार के लिए,ऋणकर्ता के अनुरोध को कुछ शर्तों के अधीन मंजूरी दे सकते है। इसके अलावा, नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक को भी शक्तियां दी गई है कि वे परिपक्व परंतु अदत्त ईसीबी को इक्विटी में रूपांतरण के मामलों में यह सुनिश्चित करने पर कि रूपांतरण शर्तों के भीतर है मंजूरी दें ।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर संबंधित ईसीबी उधारकर्ता ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली जिसमें विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है, अदत्त ईसीबी के इक्विटी(चाहे वह परिपक्व हो या नहीं) में कोई भी रूपांतरण/अवधि विस्तार रिजर्व बैंक के बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा लागू प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों, पुनर्गठन पर दिशा निर्देशों के अधीन होगा।इसके अलावा,इक्विटी में इस तरह के रूपांतरण अन्य उधारदाताओं की सहमति के अधीन भी होगा, यदि कोई हो, उसी उधार लेनेवाले के लिए या कम से कम रूपांतरण की जानकारी उधार लेनेवाले के अन्य उधारदाताओं को दी जाएगी। ईसीबी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत बने रहेंगे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10652Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।